

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 02/2021 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 12 जनवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 3 अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 2/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(I) सारणी I में, -

(क) स्तम्भ (4), में क्रम संख्यांक 7,के सामने 7.4.2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा : -

(4)	
“7.4.2	आयुक्त (अपील I) दिल्ली और अतिरिक्त आयुक्त (अपील II) दिल्ली ”;

(ख) स्तम्भ (4), में क्रम संख्यांक 14,के सामने 14.4.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा : -

(4)	
“14.4.1	आयुक्त (अपील II ) मुंबई और अतिरिक्त आयुक्त (अपील I) मुंबई ”;

(II) सारणी III में, अंत में निम्नलिखित अंतस्थापित जाएगा, अर्थात्: -

"टिप्पण 1: क्रम संख्यांक 7.4.1 और 7.4.2 पर प्रविष्टियों लिए स्तम्भ (4) में उल्लिखित आयुक्त (अपील I) दिल्ली को सारणी III में क्रम संख्यांक 13 और 14 स्तम्भ (2) में उल्लिखित दिल्ली I और दिल्ली II के ऊपर अधिकार क्षेत्र होगा;

टिप्पण 2: क्रम संख्यांक 14.4.1 और 14.4.2 पर प्रविष्टियों लिए स्तम्भ (4) में उल्लिखित आयुक्त (अपील II) मुंबई को सारणी III में क्रम संख्यांक 31 और 32 स्तम्भ (2) में उल्लिखित मुंबई I और मुंबई II के ऊपर अधिकार क्षेत्र होगा।"

[फा. सं.सीबीईसी-20/19/06/2020-जी एस टी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 2/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्यांक 609(अ) तारीख, 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना संख्यांक 4/2019-केंद्रीय कर, तारीख 29 जनवरी, 2019 को सा.का.नि. संख्यांक 64(अ) तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।